उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड।

(कार्मिक अनुभाग–एक)

संख्या 763 /उ0नि0(एक)–118/2022–23

दिनांक, देहरादून, 21 मई, 2022

समस्त महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
उत्तराखण्ड।

शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में कार्मिकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही की जानी है। अतः तद्नुसार दुर्गम एवं सुगम क्षेत्र में कार्यरत अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आने वाले कार्मिकों की साफ्टवेयर के माध्यम से तैयार की गई पदवार सूची विभागीय बेबसाईट www.doiuk.org पर अपलोड की गई है। स्थानान्तरण हेतु विकल्प भरे जाने एवं अपना सेवा विवरण देखने हेतु कार्मिकों के लॉगइन आई.डी एवं पासवर्ड का विवरण संलग्न है। सम्बन्धित पासवर्ड कार्मिक अपनी सुविधानुसार बदल सकता है।

2. प्रदर्शित सूचना में यदि किसी कार्मिक के सम्बन्ध में अंकित सूचना में किसी प्रकार की भिन्नता प्रकाश में आती है तो सम्बन्धित कार्मिक एक सप्ताह के अन्दर साक्ष्यो सहित अपना प्रत्यावेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते है।

3. स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–17 (2) (घ) के अनुसार विभागीय संगठन के प्रान्तीय/जिला स्तरीय अध्यक्ष/सचिवों को पद धारित करने की तिथि से पद पर बने रहने अथवा 02 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो, की अवधि हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण नही किया जाना है। तद्नुसार साफ्टवेयर द्वारा विभागीय संगठन के सभी प्रान्तीय/जिला स्तरीय अध्यक्ष एवं सचिवों, जिनका कार्यकाल वर्तमान स्थानान्तरण सत्र की आधार तिथि 31 मई, 2022 को उक्तानुसार पूर्ण नही हुआ है, के सम्बन्ध में स्थानान्तरण समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

4. साफ्टवेयर द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–3(ज) एवं धारा–7 (घ) (एक) के अनुसार 55 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के कार्मिकों को उक्त वर्णित सूचियों में शामिल नही किया गया है।

5. अतः आप सूची में शामिल अपने अधीनस्थ कार्मिकों से www.karmik.doiuk.org पर कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु विकल्प दिनांक 31 मई, 2022 तक भरवाना सुनिश्चित करें। यदि सूची में शामिल किसी कार्मिक द्वारा दिनांकः 31 मई, 2022 तक अपना विकल्प नही भरा जाता है तो तदनुसार स्थानान्तरण समिति द्वारा निर्धारित मानकों के तहत् सम्बन्धित कार्मिक के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

6. यद्यपि कतिपय कार्मिकों द्वारा वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है तथापि अपने अधीनस्थ अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कार्मिकों के प्रार्थना पत्र उक्त वर्णित वेबसाईट पर पूर्व की भांति आवश्यक अभिलेखों एवं अपनी संस्तुति सहित दिनांकः 31 मई, 2022 तक अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि।

(एस0सी0 नौटियाल)
निदेशक उद्योग।